International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences
ISSN: 2278-6236
Impact Factor: 7.624

सामाजिक न्याय में अम्बेडकर का योगदान

डॉ. परविन्द्रजीत सिंह

प्राचार्य

संत श्री प्राणनाथ परनामी पी जी कॉलेज पदमपुर

सारांश

भारत में जाति–वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व और परंपरागत रूप से शक्तिशाली वर्ग के प्रभुत्व ने निचले स्तर से लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया को खतरे में डाल दिया है। आज हम भारत की सामाजिक व्यवस्था में विकास व परिवर्तन के ऐतिहासिक क्षण देख रहे हैं। इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बहुत से शोधार्थी डॉ बी आर अम्बेडकर की विचारधारा की प्रासंगिकता और महत्व की खोज कर रहे हैं। उन्होने हिन्दू धर्म के उन पहलुओं का अध्ययन किया कि कैसे इस व्यवस्था में मानवीय मूल्यों और मानव गरिमा का पतन हुआ। हम अक्सर 'सामाजिक न्याय' शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसे पूर्ण रूप से परिभाषित करते हैं क्योंकि समाज के अलग–अलग वर्गों के अलग–अलग दृष्टिकोणों में यह परस्पर विरोधी अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा यह एक बहु–संदर्भीय शब्द है इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में व्याख्या और निहितार्थ अलग अलग हो सकते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण में सामाजिक न्याय का संबंध किसी भी सीमा के बिना नए सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत से है जिसमें सामान्य, विशेष, कमजोर, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के लिए या समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अधिकार और लाभ प्रथक–प्रथक नहीं हों। भारत में सामाजिक लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया सामाजिक न्याय के माध्यम से ही शुरू की जा सकती है। आज दलितों के उद्धार व स्वाभिमान की बहाली की बहुत जरूरत है। डॉ बी आर अम्बेडकर की दृष्टि ने हमें भारत में सामाजिक न्याय प्राप्ति का व्यापक कार्यक्रम दिया है। इस प्रकार वास्तविक सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सभी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताकतों का कर्तव्य है कि डॉ बी.आर अम्बेडकर की वैचारिक दृष्टि को आत्मसात करें।

शब्द संकेत – जाति–वर्ण व्यवस्था , सामाजिक न्याय, सामाजिक लोकतांत्रीकरण।

परिचय–

भारत में अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, हठधर्मिता और अंतर्विरोधी संघर्ष जैसी कई समस्याओं का कारण भारत सरकार नागरिकों के बीच सामाजिक न्याय के आधार पर संपत्ति और दायित्वों के वितरण में विफलता है। दूसरा कारण नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक नहीं किया जाता है और न ही सरकार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सामाजिक मूल्यों को समाज में गहराई तक समायोजित कर पाई है। डॉ अंबेडकर का भारतीय संविधान को प्रारूपित करना पहला योगदान था और उनका दूसरा प्रमुख कार्य अपने सामाजिक दर्शन का प्रसार और प्रचार करना था।

भारत में कई सामाजिक विचारकों व सुधारकों द्वारा नागरिकों को उनके कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों से अवगत कराने के प्रयास किए गए हैं। प्राचीन काल में चार्वाक, महावीर, बुद्ध, कबीर और नानक जैसे विचारकों ने भारतीयों को सामाजिक मूल्य सिखाने के प्रयास किए, सामाजिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। आधुनिक काल में सामाजिक और धार्मिक सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, प्रफुल्ल चन्द्र रे, ज्योतिबा फुले, आगरकर, वी आर शिन्दे, शाहू महाराजा और कई अन्य लोगों ने इसी तरह के प्रयास किए। यद्यपि डॉ बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक चिंतकों व सुधारकों की एक ही परंपरा से संबंधित हैं, लेकिन उनका योगदान महत्वपूर्ण व दूसरों से अलग है। डॉ अम्बेडकर ने कड़े शब्दों में पारंपरिक भारतीय समाज और धर्म पर आधारित सीधे हिंदू सामाजिक

दर्शन पर हमला किया। उन्होने सामाजिक न्याय पर आधारित नए समाज के गठन पर बल दिया ताकि दमित वर्ग, महिलाओं और पिछड़े वर्ग का उत्थान हो सके। उन्हें यकीन था कि सिर्फ न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से ही नागरिकों को अपने अधिकारों, दायित्वों के प्रति जागरूक और राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना विकसित की जा सकती है। इस प्रकार डॉ अम्बेडकर ने भारतीय समाज की समालोचना की और राष्ट्रीय और सामाजिक एकीकरण का प्रयास किया। असमानता, दलित और पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव जैसी समस्याओं के सामाजिक हल के लिए उनके प्रयास सामाजिक न्याय की अवधारणा से प्ररित थे। इसलिए हमें भारत द्वारा सामना की जा रही सामाजिक समस्याओं के समाधान में डॉ अम्बेडकर के सामाजिक दर्शन का प्रयोग करना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक न्याय–

हम विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक से सामाजिक न्याय को समझ सकते हैं। सामाजिक न्याय की एक सर्वसम्मत परिभाषा देना बहुत मुश्किल है। प्रो डी.आर. जाटव के अनुसार सामाजिक न्याय की परिभाषा– "सामाजिक न्याय उस तरह का न्याय है जो कुछ आदर्शों को मानव समाज से निकटता से निर्धारित करता है, यह व्यक्तियों, परिवार, समाज और राष्ट्र का अस्तित्व और निरंतरता का निर्वाह करता है, इसका कार्यान्वयन समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है, यह मनुष्यों के बीच पाए गए सभी गंभीर अन्यायपूर्ण असंतुलन को दूर करता है ताकि सभी नागरिक बंधनमुक्त हों और उनके जीवन में सुधार हो, ताकि हर आदमी अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार अपनी पसंद के अनुसार सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के अवसरों का लाभ उठा सके"।

मार्गदर्शक और मूल्यांकन सिद्धांत के रूप में सामाजिक न्याय बदलती स्थिति के अनुसार अन्यायपूर्ण रिवाज, परंपरा और सामाजिक संरचना के उन्मूलन या संशोधन का सुझाव देता है, यह लोगों के कल्याण और समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के अधिकारों को संरक्षण व प्रोत्साहन देता है।

मानव जीवन और समाज के विभिन्न पहलुओं के साथ सामाजिक न्याय बहुआयामी है। यह उन लोगों के साथ अन्तर्व्यवहार करता है जिनको जानबूझकर शोषण, अन्याय व समाज से बहिष्कार का शिकार बनाया गया जैसे बंधुआ मजदूर और अवैतनिक मैला ढोने वाले। सामाजिक न्याय उन नियमों, परंपराओं, हठधर्मिता, रीति–रिवाज व व्यवहार की आलोचना करता है जिनका उपयोग अन्याय के लिए किया जाता है।

सामाजिक न्याय की अवधारणा के पीछे मूल रूप से दो विचार हैं–सामाजिक न्याय एक ईश्वरीय तत्व द्वारा शासित, दूसरा सामाजिक न्याय एक व्यक्ति द्वारा शासित होता है। जहाँ तक पहले विचार का संबंध है, इसकी पूर्व वैदिक काल में वकालत की गई जहां ईश्वर और कर्म सिद्धांत की निश्चित अवधारणा थी। दूसरे विचार की चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन ने वकालत की थी, उन्होंने ईश्वरीय तत्व को महत्व देने के बजाय मनुष्य की प्रधानता और उसके तर्कसंगत कार्यों को महत्व दिया।

डॉ अम्बेडकर ने कहा कि सामाजिक न्याय की अवधारणा नैतिक और कानूनी है। उनकी सामाजिक न्याय की अवधारणा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वत जैसे मानवीय मूल्यों पर आधारित थी।[4] अम्बेडकर प्रो बर्जबोन के स्पष्टीकरण से सहमत थे "न्याय ने हमेशा समानता के विचार को विकसित किया है। नियम और कानून में तर्कसंगत संबंध समानता के मूल्य से है। यदि सभी पुरुष समान हैं, तो सभी पुरुष एक ही सार और सामान्य सार हैं जो उन्हें समान मौलिक अधिकारों और समान स्वतंत्रता का अधिकार देता है"।

उनका मानना था कि यदि व्यक्तियों द्वारा इन मूल्यों का सम्मान किया जाता है तो न तो जाति बाधाएं उन्हें विभाजित करेंगी, और न ही किसी व्यक्ति के कैरियर को रोकने वाली जातिगत बाधाएं होगी। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान होगा। डॉ अम्बेडकर ने इसे सामाजिक लोकतंत्र कहा, यह जीवन जीने का एक तरीका है

जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है।[6] डॉ अम्बेडकर ने कहा, "ये तीनों त्रिमूर्ति का मिलन है इनका एक दूसरे से प्रथक होना ही लोकतंत्र के उद्देश्य की हार है"।

डॉ अम्बेडकर के अनुसार स्वतंत्रता मानव को उसकी अभिव्यक्ति का अवसर देती है। स्वतंत्रता के माध्यम से व्यक्ति की छिपी हुई प्रतिभा व्यक्त होती है। यह मनुष्य को अपना भाग्य स्वयं बनाने में सक्षम बनाता है। समानता व्यक्तियों को एक साथ पारस्परिक सहयोग और सामाजिकता सहानुभूति से बांधती है। बंधुत्व एक ऐसा वातावरण बनाता हैं जो समानता और स्वतंत्रता के आनंद के लिए अनुकूल है। डॉ अंबेडकर के अनुसार "भ्रातृत्व का मतलब है सभी भारतीयों में सामान्य भाईचारे की भावना, सभी भारतीय एक व्यक्ति हैं। यह सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन के लिए एकता और एकजुटता देता है"।

प्रो जाटव ने सामाजिक न्याय की डॉ अम्बेडकर की अवधारणा को जीवन की एक विधि करार दिया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपना सही स्थान रखता है। ''इसके नियम हो सकते हैं जैसे सम्मानपूर्वक जीना, सभी का सम्मान करना, किसी को भी हानि न पहुँचाएं, और प्रत्येक व्यक्ति को मन में बिना किसी कृत्रिम भेदभाव के व समाज में अप्राकृतिक वर्गीकरण के बिना उसका हक मिले। सामाजिक न्याय के अन्य गुणों में संवैधानिक शासन की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता, मौलिक अधिकारों की रक्षा, कर्तव्यों की पालना, सामाजिक और कानूनी दायित्वों का पालन, और अंत में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के मूल्यों और मानव व्यक्तित्व की गरिमा में अटूट विश्वास है"।

संक्षेप में, डॉ अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा का सार एकता और सभी मनुष्यों की समानता है, स्वतंत्र रूप से वर्ग, जाति, और लिंग से परे विचार, सम्मान के साथ सम्मान, अधिकार, परोपकार, आपसी प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता और सभी प्राणियों के प्रति दया, सभी नागरिकों की गरिमा, जाति–भेद का उन्मूलन, सभी के लिए शिक्षा और संपत्ति, अच्छी मंशा और सज्जनता।[10] डॉ अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय पर जोर दिया क्योंकि इसमें सभी प्रकार के न्याय शामिल हैं, अर्थात कानूनी, आर्थिक, राजनीतिक, दैवीय, धार्मिक, प्राकृतिक, प्रशासनिक न्याय के साथ बच्चों और महिलाओं का भी कल्याण।

आदर्श समाज के आधार के रूप में सामाजिक न्याय–

डॉ अंबेडकर जिस आदर्श समाज को साकार करना चाहते थे, वह निम्नलिखित पर सिद्धांतों आधारित है–

- व्यक्ति अपने आप में एक साध्य है। समाज का लक्ष्य और उद्देश्य व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का विकास है। समाज व्यक्ति से ऊपर नहीं है, यदि व्यक्ति को स्वयं को समाज के अधीन करना पड़े तो यह उसके विकास के लिए ऐसी अधीनता आवश्यक है।
- समाज में रहने के लिए आवश्यक शर्तें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होनी को चाहिए।
- समाज को एक तर्कसंगत धर्म पर आधारित होना चाहिए।

डॉ अंबेडकर के अनुसार एक व्यक्ति को एक साधन के रूप में नहीं माना जा सकता है बल्कि एक साध्य माना जाना चाहिए। क्योंकि प्रकृति द्वारा हर व्यक्ति स्वतंत्र है। इसलिए समाज को प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसर व स्थान प्रदान करना चाहिए। उन्होने कहा कि समाज को प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता, समानता और न्याय देकर उसकी देखभाल करनी चाहिए।

डॉ अम्बेडकर मानते हैं कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था ने निचली जाति से संबंधित व्यक्तियों का उच्च जाति के हितों के लिए साधन के रूप में उपयोग किया। सभी प्रकार के नियम उच्च जातियों के अनुरूप बनाए गए। इस प्रकार क्रमिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था ने निम्न जाति के लोगों के साथ घोर अन्याय किया।

भारतीय सामाजिक दर्शन में डॉ अंबेडकर का योगदान–

डॉ अंबेडकर आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विचारकों में से एक थे। वे मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन, धर्म, कानून, इतिहास और राजनीति जैसे विविध विषयों के अच्छे जानकार थे। विविध विषयों का उनका ज्ञान और उनके एक दलित के रूप में उनके कटु अनुभव ने उन्हें सामाजिक समस्याओं पर एक विशिष्ट तरीके से सोचने का मौका दिया। उन्होने राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को समाज सुधार के लिए आवश्यक पूर्व शर्त नहीं माना और न ही उन्हें यह विश्वास था कि राजनीतिक स्वतंत्रता से सामाजिक सुधार होगा। उन्होंने कहा कि जब पेशवा महाराष्ट्र पर शासन कर रहे थे, तब राजनीतिक सत्ता भारतीयों के हाथ में थी। अभी तक सत्ता की इच्छा को आर्थिक दृष्टि से दखा जाए तो क्यों लोग मानसिक शांति के लिए अपने घर और धन का त्याग करते हैं।[30]

डॉ अंबेडकर के अनुसार राजनीतिक और आर्थिक सुधार शुरू करने से पहले लोगों को ऐसे सुधारों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना आवश्यक है। इसके लिए समाज के मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवार के सुधार से उच्च जातियों में ही बदलाव आएगा। निचली जातियां इस तरह के सुधार से कुछ हासिल नहीं करेंगी। इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि यदि हम प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक और आर्थिक सुधारों का लाभ लेने में सक्षम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए पूरे समाज को सुधारना आवश्यक है।

उनके अनुसार समाजिक कुरूतियाँ भी भारतीय समाज को निष्क्रिय और अक्षम बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए डॉ अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के महत्व की वकालत की ताकि व्यक्ति, समाज और देश के संपूर्ण विकास के लिए जातिविहीन समाज की स्थापना की जा सके।

सन्दर्भ–

1 जाटव डी.आर., सोशल जस्टिस–इन इंडियन पर्सपेक्टिव, एबीडी पब्लिशर्स, राजस्थान, 2006, पृ.सं. 16
2 डॉ अम्बेडकर बी.आर. राइटिंग्स एंड स्पीचेज, वोल्यूम 3, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई, 1987, पृ.सं. 25
3 जाटव डी.आर., सोशल जस्टिस–इन इंडियन पर्सपेक्टिव, एबीडी पब्लिशर्स, राजस्थान, 2006, पृ.सं. 95
4 डॉ अम्बेडकर बी.आर. राइटिंग्स एंड स्पीचेज, वोल्यूम 13, पृ.सं. 1216
5 जाटव डी.आर., सोशल जस्टिस–इन इंडियन पर्सपेक्टिव, एबीडी पब्लिशर्स, राजस्थान, 2006, पृ.सं. 96–97
6 डॉ अम्बेडकर बी.आर. राइटिंग्स एंड स्पीचेज, वोल्यूम 3, पृ.सं. 25
7 डॉ अम्बेडकर बी.आर. एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, अर्नोल्ड पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1990
8 जाटव डी.आर., पूर्वोक्त, पृ.सं. 46–47
9 डॉ अम्बेडकर बी.आर. राइटिंग्स एंड स्पीचेज, वोल्यूम 3